



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2015 प्रमाणित संस्था)
विकास पथ, गाजियाबाद

“सार्वजनिक सूचना”

एतद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप-हाउसिंग, व्यवसायिक, मिक्स्ड यूज एवं सामुदायिक सुविधाओं के भूखण्डों को प्रभावी मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन-2025 के मानकों को पूर्ण करते हुए एवं प्राधिकरण की नियोजित एवं विकसित मधुबन बापूधाम योजना के संशोधित तलपट मानचित्र मा० बोर्ड की बोर्ड बैठक दिनांक 14.05.2026 में लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व में प्रस्तावित योजना के पॉकेट ई में आंशिक संशोधन को समाहित कर सुविधाओं की क्रियाओं को निर्धारित करते हुए संशोधित तलपट मानचित्र तैयार किया गया है। तलपट मानचित्र की स्वीकृति किये जाने के पूर्व शासनादेश संख्या 2438/9-आ-3-98-60 एल०यू०सी० दिनांक 13.10.1998 के अनुसार उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 की कार्यवाही किये जाने एवं जनसामान्य से आपत्ति / सुझाव सम्बन्धी उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के फलस्वरूप तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बैठक दिनांक 24.09.2026 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा० बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मा० बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त तलपट मानचित्र का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में स्वागत कक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

अपर सचिव

ई-मेल: helplinegda@gmail.com, f : @gdagzb, t : @gdagzb

हैल्पलाईन: 0120-4418384 / व्हाट्सैप नं: 9990988004, वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर..... हमारा संकल्प